भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - †3255

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

झारखंड को निधियों का आवंटन

†3255. श्री राजेश रंजन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड राज्य सरकार की हिस्सेदारी 1 लाख 40 हजार करोड़ रु. वर्षों से सरकार के पास लंबित है और उसे झारखंड को अंतरित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को धन आवंटन में भेदभाव कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य धन की कमी के कारण विकास योजनाओं को गति देने में असमर्थ है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर धनराशि जारी करने का है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी नहीं। कोयले से प्राप्त 1 लाख 40 हज़ार करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा वर्षों से सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ग) और (घ): जी नहीं।

(ङ) और (च): केन्द्र सरकार विभिन्न शीर्षों जैसे कर अंतरण, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए सहायता अनुदान, वित्त आयोग अंतरण, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, निधियाँ झारखंड राज्य में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों में प्रयुक्त किए जाने के लिए जारी की जाती हैं। निधियाँ वित्त आयोग की सिफ़ारिशों, स्कीम के दिशा-निर्देशों, निर्धारित शर्तों को पूरा करने और पहले जारी की गयी निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गयी/जारी की गयी निधियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

सोमवार, दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 3255 का अनुबंध।

<u>पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य को अंतरित निधियों का ब्यौरा</u>

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
कर अंतरण	27734.64	31404.12	37352.35
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए सहायता अनुदान	9626.26	11172.22	11754.97
वित्त आयोग अंतरण	2318.80	1826.59	2378.28
पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए स्कीम	246.00	2964.32	4580.61

<u>झारखंड राज्य में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों में प्रयुक्त किए जाने के लिए जारी की गई निधियों का विवरण</u>

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें (सीएस)*	2190.16	1987.80	2000.48

*: पीएफ़एमएस में उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार।

****